न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सत्यनारायण आमेटा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 45 / 2012

तारीख दायरा—16.07.2012

तारीख निर्णय—03.06.2016

1. श्री गोपाला पिता मेगा मेघवाल निवासी भारोडी तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री नाना पिता अम्बावा मेघवाल निवासी भारोडी तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमती चुनी बेवा अम्बावा मेघवाल निवासी भारोडी तहसील गोगुन्दा।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से— श्री भगवतीलाल तेली

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा भारोडी पटवार क्षेत्र मजावद तहसील गोगुन्दा में आराजी नम्बर 870 रकबा 0.0950, 896 रकबा 0.1350, 899 रकबा 0.2050, 900 रकबा 0.0250, 903 रकबा 0.5500, 1651 / 899 रकबा 0.0600 किता 6 कुल रकबा 1.0700 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है, परन्तु भूमि का रेकार्ड में विधिवत विभाजन नही होने से आये दिन लडाई झगडा होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विधिवत विभाजन हेतु निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के विभाजन में कोई तत्परता नही दिखाई। इसलिये वादी माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित किया जाना आवश्यक होने से वादी द्वारा वाद पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराया जाकर भूमि अलग—अलग खाते दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का हम खातेदारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाता है, तो हमें कोई आपत्ती नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा भारोडी पटवार क्षेत्र मजावद की आराजी नम्बर 870 रकबा 0.0475, 896 रकबा 0.1350, 899 रकबा 0.1025 किता 3 कुल रकबा 0.2850 है0 भूमि का गोपाला पिता मेगा मेघवाल एवं आराजी नम्बर 870/1 रकबा 0.0475, 899/1 रकबा 0.1025, 900 रकबा 0.0250, 903 रकबा 0.5500, 1651/899 रकबा 0.0600 किता 5 कुल रकबा 0.7850 है0 भूमि का नाना पिता अम्बावा, मु. चुनी बेवा अम्बावा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर